न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्याः 124/21 दायर दिनांकः 08.12.2021

जीसीएमएस नं. 2021/280

1. सीताराम पुत्र भगवत जाति ब्राह्मण नि. सुक्कू का नंगला तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

——वादी

बनाम

1. कमलसिंह पुत्र भोला जाति राजपूत नि. महमदपुर हाल नि. सुक्कू का नंगला तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

——प्रतिवादी

अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए.

अधिवक्ता— 1.श्री हेमसिंह पाण्डेय ——वादी

2.देवेन्द्रशरण पाठक ——प्रति.

निर्णय दिनांक 08.10.2024

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 24 रकबा 2.06 हैक्टे. वाके ग्राम गौगेरा तह. भुसावर में स्थित है, जिसमें वादी 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार एवं काविज आराजी है। वादी अपने हिस्से की आराजी का शान्तिपूर्वक काश्त करते हुए राज लगान राज्य सरकार को अदा कर उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है।

वादी के हिस्से की खातेदारी काश्तकारी की आराजी से प्रतिवादी का कोई वास्ता व सरोकार किसी भी प्रकार का आज तक नहीं रहा है और ना ही कभी किसी हैसियत से काश्त ही किया है। लेकिन प्रतिवादी बहुत ही सरगना व लठैत व्यक्ति है, जिसकी खातेदारी की आराजी वादी के हिस्से की आराजी से आगे स्थित है, जिसकी आड में प्रतिवादी वादी की खातेदारी की आराजी पर अपने लट्ठ व ताकत के बल पर कूटा करकट डालकर अतिक्रमण करना चाहते है और सायल के कब्जे काश्त में आये दिन व्यवधान पैदा करते है और वादी अपने हिस्से की आराजी का उपयोग व उपभोग भी नहीं कर पायेगा और विद्युत उपकरण भी रखकर कब्जा करना चाहता है। जबकि प्रतिवादी को वादी के हिस्से की आराजी के बाबत कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

दिनांक 15.11.2021 को प्रतिवादी ने वादी को खुलेआम धमकी दी है कि मैं तुम्हारे खेत में जबरन लट्ठ व ताकत के बल पर कूडा करकट डालकर अतिक्रमण कर कब्जा करके रहूँगा और अपने विद्युत उपकरण रखूँगा। जिससे तुम तुम्हारी आराजी का उपयोग व उपभोग भी नहीं कर सकेंगे और आराजी को नाकाविल काश्त बनाकर छोडूंगा और आराजी पर कब्जा कर अपना पुख्ता निर्माण करके रहूंगा। यदि प्रतिवादी अपनी उपरोक्त धमकी की मंशा में सफल हो गया तो वादी अपने हिस्से की खातेदारी की आराजी से बेदखल होकर हमेशा के लिए महरूम रह जावेगा। जिससे वादी को अपरमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से रूपये,

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

पैसों से सम्भव नहीं हो सकेगी। अतः वादी, प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पावन्द करा पाने का अधिकारी है।

दावा–वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलवी जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा की गई नोटिस की ताईद में प्रतिवादी की ओर से वकालतनामा श्री देवेन्द्रशरण पाठक द्वारा पेश किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नहीं किये जाने पर वादी वकील द्वारा प्रा. पत्र आदेश 8 नियम 1 व धारा 151 जा.दी. पेश किया। जिसके बाद जवाब प्रतिवादी अधिवक्ता प्रा. पत्र पर बहस सुनी गई। प्रा. पत्र वादी स्वीकार किया गया जवाब प्रतिवादी बन्द किया गया। साक्ष्य वादी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र व रामदयाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

उभयपक्ष द्वारा मय अधिवक्तागण के राजीनामा उपस्थित होकर पेश किया गया।

हमने पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं पत्रावली तथा इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड तथा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का गहन अध्ययन किया गया तथा उभयपक्ष के विज्ञ अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया।

राजीनामा में वादी की पहचान श्री हेमसिंह पाण्डेय अधिवक्ता ने एवं प्रतिवादी की पहचान श्री देवेन्द्रशरण पाठक अधिवक्ता द्वारा की गई। राजीनामा उभयपक्ष को पढ़कर सुनाया गया व समझाया गया। उन्होने राजीनामा सुन व समक्ष कर सही होना स्वीकार किया गया। इसके बाद राजीनामा तस्दीक किया गया।

अतः वर विनाय राजीनामा वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम, 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्याः 124/21 दायर दिनांकः 08.12.2021

जीसीएमएस नं. 2021/280

सीताराम पुत्र भगवत जाति ब्राह्मण नि. सुक्कू का नंगला तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

––वादी

बनाम

कमलसिंह पुत्र भोला जाति राजपूत नि. महमदपुर हाल नि. सुक्कू का नंगला तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

––प्रतिवादी

अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता– 1.श्री हेमसिंह पाण्डेय ––वादी

2.श्री देवेन्द्रशरण पाठक ––प्रति.

डिक्री 08.10.2024

वाद वादी सीताराम बनाम कमलसिंह में वाद पत्र बाबत् दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की विनिर्दिष्ट अनुपालना हेतु दावा वादी स्वीकार किया जाता है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर वर विनाय राजीनामा वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)